न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 135/2023

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :– 2023/245

प्रार्थीगण

1. शिम्भूदान दतक पुत्र मेहरदान निवासी जुडिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. आदूराम पुत्र हुकमाराम
2. कच्छु पुत्री बुधाराम
3. कानाराम पुत्र इन्द्राराम
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र इन्द्राराम
5. चम्पा देवी पत्नी बुधाराम
6. जगदीशप्रसाद पुत्र मांगाराम
7. जसाराम पुत्र वीरमाराम
8. जामुदेवी पत्नी मांगाराम उर्फ मांगीलाल
9. झुमरराम पुत्र इन्द्राराम
10. तुलसी पुत्री बुधाराम
11. तारूराम पुत्र बुधाराम
12. देरामाराम पुत्र गुणेशराम
13. दरिया पुत्री इन्द्राराम
14. नराराम पुत्र हुकमाराम
15. नाथुराम पुत्र मांगाराम
16. फूसाराम पुत्र बुधाराम
17. बीदामी पत्नी इन्द्राराम
18. मंगलाराम पुत्र इन्द्राराम
19. मगाराम पुत्र वीरमाराम फौत
    19/1 ककू पत्नी मगाराम
    19/2 पपू पुत्री मगाराम
    19/3 गजाराम पुत्र मगाराम
    19/4 डुगरराम पुत्र मगाराम
    19/5 रिखाराम पुत्र मगाराम जरिये कुदरति वलिये माता ककू पत्नी मगाराम
20. माया पुत्री इन्द्रारमा
21. रूगाराम पुत्र इन्द्रारमा
22. रूपाराम पुत्र हुकमाराम फौत
    22/1 समदा पत्नी रूपाराम
    22/2 रेवतराम पुत्र रूपाराम
    22/3 लीला पुत्री रूपाराम
    22/4 पुटी पुत्री रूपाराम
    22/5 गंगा पुत्री रूपाराम
    22/6 धापु पुत्री रूपाराम
    22/7 गीता पुत्र रूपाराम
    22/8 रतनलाल पुत्र रूपाराम
23. शेराराम पुत्र इन्द्राराम
24. सुखाराम पुत्र बुधाराम
25. समता पुत्री इन्द्राराम
26. सागर पुत्री बुधाराम निवासीगण ग्राम जुडिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.28 18:00:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री आवडदान चारण।
2. अप्रार्थीगण 1 से 27 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णयः–

दिनांक :– 20/5/24

प्रार्थीगणों के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 253 एवं 253/1 ग्राम जुडिया पटवार हल्का जुडिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण मे आई हुई है। जिसमे प्रार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ है। परिवार सहित निवास करता आ रहा है। उक्त खेत मे कृषि कार्य भी करता है। प्रार्थी के खेत एवं रहवासीय मकान मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगणों के खेत मौजा जुडिया के खसरा नम्बर 254 रकबा 1.4488 हैक्टेयर की भूमि के माठ–माठ होते हुए कदीमी पीढियों से रास्ता चलता है। जो उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत व रहवासीय मकान तक जाता है। प्रार्थी के खेत से निकलने के बाद अप्रार्थी के खसरा नम्बर 254 की भूमि के माठ–माठ होते हुए जुडिया से भानगढ जाने वाली सड़क से मिलान करता है। अभी हाल ही मे अप्रार्थीगणों द्वारा उक्त रास्ता पीढियों से मौके पर चलता है उसको बंद करने की धमकिया दी जा रही है जिससे प्रार्थी को अपने घर व कृषि कार्य करने के लिए आने–जाने के लिए रास्ता बन्द हो जायेगा। प्रार्थीगणों द्वारा खसरा नम्बर 254 की भूमि मे से 30 फिट कटाणी रास्ता घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया एवं तहसीलदार बालेसर से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बालेसर द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2024/572 दिनांक 28.02.2024 के द्वारा भू.अ. निरीक्षक ढाढणिया सांसण एवं हल्का पटवारी जुडिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

भू.अ. निरीक्षक ढाढणिया सांसण एवं हल्का पटवारी जुडिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 के अनुसार प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 254 मे जो रास्ता निकटतम दुरी का बनता है उस प्रस्तावित रास्ते का माप रेकर्ड के अनुसार 28 गठ्ठा (ल) X 2 गठ्ठा (चौ) = 56 गठ्ठा अर्थात 0.03 बिस्वा बनता है। ग्राम जुडिया की डीएलसी दर 12503 रूपयें है। उक्तानुसार डीएससी दर की दुगुनी दर से प्रस्तावित रकबे की राशि 3751 रूपये बनती है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगणो को नोटिस जरिये रजि. ए.डी. से प्रेषित करते हुए रसीदे न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगणा को न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु अवसर दिया गया अप्रार्थीगण न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगणो के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

मूल प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू.अ. निरीक्षक ढाढणिया सांसण एवं हल्का पटवारी जुडिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त मौका रिर्पोट में प्रार्थी द्वारा चाहे गया रास्ता लघुतम एवं निकटतम दर्शाया गया है। अतः प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 254 मौजा जुडिया, पटवार हल्का जुडिया, तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण में चाहे गए रास्ता भू.अ. निरीक्षक ढाढणिया सांसण एवं हल्का पटवारी जुडिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 में प्रस्तुत नक्शे में दर्शाये खसरा नम्बर 254 मे 28 गठ्ठा (ल) X 2 गठ्ठा (चौ) = 56 गठ्ठा अर्थात 0.03 बिस्वा तक को 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। भू.अ. निरीक्षक ढाढणिया सांसण एवं हल्का पटवारी जुडिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.28 18:00:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान अप्रार्थीगणों को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना भू.अ. निरीक्षक ढाढणिया सांसण एवं हल्का पटवारी जुडिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 मे अंकित खसरा नम्बर 254 मे 28 गठ्ठा (ल) X 2 गठ्ठा (चौ) = 56 गठ्ठा अर्थात 0.03 बिस्वा का डीएलसी दो गुणा राशि या निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना तहसीलदार एवं उप पंजीयक, बालेसर करते हुए जो राशि सर्वाधित हो वह राशि प्रार्थीगणों द्वारा सम्बन्धित अप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि सम्बन्धित अप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार बालेसर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते है तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी जिसे तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित अप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगणो द्वारा राशि लेने से मना किया जाता है तो तहसीलदार उक्त राशि को नियमानुसार राजस्व मद मे जमा करवाने की कार्यवाही करेगे।

खसरा नम्बर 254 मे 28 गठ्ठा (ल) X 2 गठ्ठा (चौ) = 56 गठ्ठा अर्थात 0.03 बिस्वा भूमि के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगणो को इस प्रकार दर्ज उक्तानुसार भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे।

रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश आज दिनांक 20/5/24 को दिए जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बालेसर को तहरीर जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामजी भाई कलबी)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.28 18:00:13 IST
Reason: SelfAttested